

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2054 / 2012 / कोटा.

मैसर्स जे. के. सीमेन्ट लिमिटेड, 312, शॉपिंग सेंटर, कोटा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत्-द्वितीय, कोटा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर
कैम्प कोटा.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित :

श्री एम. एल. पाटोदी,

अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17 / 11 / 2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 58 / वेट / 2011–12 / कोटा में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.07.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्-द्वितीय, कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केंद्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) के तहत वर्ष 2008–09 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.7.2011 द्वारा धारा 58 के अन्तर्गत 260/- रुपये की शास्ति आरोपित की गई एवं ब्याज क्रमशः रुपये 5,945/-, रुपये 20,14,248/- एवं रुपये 26,843/- कुल रुपये 20,47,296/- की पुष्टि की गयी है तथा ब्याज सब्सिडी देरी से Disbursement पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करने हेतु दायर अपील को अस्वीकार किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2008–09 के कर निर्धारण हेतु प्रस्तुत रेकार्ड की जांच में कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि व्यवहारी ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 (जिसे आगे 'योजना-2003' कहा जायेगा) के तहत देय ब्याज अनुदान राशि राजकोष में जमा होने की तिथि से पूर्व ही देय वेट पेटे समायोजन क्लेम किया है, इसलिए राजकोष में जमा तिथि तक का वेट अधिनियम की धारा 55 के

17-11-15

लगातार.....2

तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज आरोपित किया गया। उक्त कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध मय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा योजना-2003 के तहत क्लॉज-10 के Note में वर्णित अनुसार सब्सिडी रिलीज ऑर्डर से 30 दिवस में सब्सिडी भुगतान नहीं होने पर देय ब्याज 5 प्रतिशत वार्षिक स्वीकृत नहीं करने के विरुद्ध अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश की, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा नियमित कर देशी से जमा होने के कारण वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत भी ब्याज आरोपित किया है। अपील निर्णय दिनांक 26.7.2011 से असहमत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को योजना-2003 के तहत Capital Investment Subsidy (Interest Component) का लाभ स्वीकृत है। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में देय लाभ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जाने के माह में देय कर पेटे समायोजन क्लेम किया गया था, लेकिन वास्तव में देय लाभ माह फरवरी, 2009 में राजकोष में आहरित होकर जमा हुआ। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने राजकोष में जमा होने की तिथि तक कर देशी से जमा मानकर ब्याज रूपये 5,945/- आरोपित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उनका तर्क है कि योजना-2003 के तहत देय लाभ का स्वीकृति आदेश जारी होने के माह में ही व्यवहारी द्वारा देय कर के विरुद्ध समायोजन लिया गया है, इसलिए ब्याज की देयता नहीं बनती है। यह भी कथन किया कि कर की गणना तिथि से पूर्व ब्याज का आरोपण नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्याज रूपये 20,14,248/- व .26,843/- का आरोपण भी अविधिक है। तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 94 एस.टी.सी. 422 (एस.सी.), 95 एस.टी.सी. 188 (एस.सी.), 127 एस.टी.सी. 258 (एस.सी.) 141 एस.टी.सी. 12 (एस.सी.) पेश किये गये। अपीलीय अधिकारी ने भी इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार कर विधिक त्रुटि की है।

विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि योजना-2003 के क्लॉज-10 के अनुसार सब्सिडी रिलीज ऑर्डर से 30 दिवस में पूँजीगत निवेश सब्सिडी का भुगतान नहीं होने पर निवेशक को 5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय है। यह ब्याज भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, न ही अपीलीय अधिकारी ने अपील निर्णय में इस बिन्दु पर आदेश दिया है।

लगातार.....3


उक्त आधारों पर विद्वान अभिभाषक ने अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश विधिक प्रावधानों के अनुसार पारित किये गये हैं। उनका अग्रिम कथन है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 39(3) अनुसार भुगतान की तिथि वही मान्य होगी, जिस तिथि को राजकोष में नकद राशि जमा हुई हो, या चैक, ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक Encash हुआ हो। व्यवहारी द्वारा सब्सिडी का राजकोष में जमा होने से पूर्व स्वीकृति आदेश के आधार पर देय कर के विरुद्ध समायोजन ले लिया गया है, जो कि वास्तव में देरी से है। इसी प्रकार ब्याज रूपये 20,14,248/- व 26,843/- नियमित कर देरी से जमा होने के कारण आरोपित किया गया है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज उचित रूप से आरोपित किया गया है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलर्थी को योजना-2003 के तहत पूंजीगत निवेश अनुदान (Capital Investment Subsidy) ब्याज अंश (Interest Component) का लाभ सक्षम स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत है। यह लाभ निवेशक को त्रैमासिक आधार पर योजना-2003 में विहित शर्तों पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर सब्सिडी रिलीज ऑर्डर जारी किया जाता है। योजना-2003 के तहत सब्सिडी का आहरण बजट के आधार पर राजकोष (Treasury) में अग्रिम देय कर के पेटे जमा किया जाता है (सब्सिडी का नगद भुगतान नहीं किया जाता है)। जब सब्सिडी, सब्सिडी के बजट शीर्षक से आहरित होकर बुक एन्ट्री द्वारा या चालान द्वारा व्यवहारी के खाते में जमा होती है तभी यह राजकोष में व्यवहारी द्वारा देय कर पेटे जमा होती है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 39 के तहत राजकोष में कर भुगतान को स्पष्ट किया गया है। प्रावधान के सुसंगत अंश इस प्रकार हैं –

39. General mode of payment of tax, demand or other sum.-

- (1) Unless expressly provided otherwise in the Act or in these rules, payment of tax, demand or other sum shall be made into the Government treasury or the bank authorized to receive money on behalf of the State Government, by means of a challan in Form VAT-37 or through a demand draft drawn on any branch of a bank situated in Rajasthan, in favour of the assessing authority concerned or any authorized officer.


17-11-15



लगातार.....4

- (2) On deposit of the tax, demand or other sum under sub-rule (1), the bank shall return Part IV and Part V of the challan after affixing its seal thereon to the person depositing the amount and Part III of the challan shall be sent by such bank to the treasury or authorized officer. Part I and Part II of the challan shall be sent by such bank to the treasury, and such treasury shall retain Part I of the challan and shall forward the Part II to the Accountant General, Rajasthan. The person who made the payment will retain Part V of the challan with himself and shall enclose the Part IV thereof with the application, return, memorandum of appeal or other document to be submitted to the authority concerned.
- (3) **The date of payment for the purpose of these rules shall be the date on which cash is deposited, or a demand draft/banker's cheque/cheque is encashed and deposited in the account of the State Government.**

उक्त प्रक्रिया के मद्देनजर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के पक्ष में जारी सब्सिडी रिलीज ऑर्डर मात्र आदेश होता है, जिसके आधार पर बिल बनाकर सब्सिडी के विहित मद से राजकोष से भुगतान किया जाता है तथा भुगतान व्यवहारी द्वारा देय नियमित कर पेटे चालान या बुक एन्ट्री द्वारा समायोजित कर लिया जाता है।

उक्त प्रावधानानुसार कर का भुगतान राजकोष में राशि जमा होने की तिथि से ही होता है। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के वर्ष 2007–08 के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तिमाहियों तथा वर्ष 2008–09 की प्रथम व द्वितीय तिमाहियों के लिये सब्सिडी के आदेश दिनांक 31.12.2008 को जारी किये गये हैं, जबकि कर पेटे इसका समायोजन राजकोष में जमा दिनांक 3.2.2009 को किया गया है।

चूंकि राजकोष में राशि का भुगतान फरवरी, 2009 माह में किया गया है, तब तक का ब्याज आरोपित करने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

जहां तक नियमित कर जैसा कि विवरणियों में घोषित किया गया है, लेकिन तदनुसार चुकाया नहीं गया है, वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत देरी के अनुसार ब्याज आरोपण विधिसम्मत होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त (2005) 141 एस.टी.सी. 12 ई.आई.डी. पैरी (इण्डिया) लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर चैन्नई में न्यायालय के पूर्व निर्णय 94 एस.टी.सी. 422 को विचारित करते हुए पैरा 16 में स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि

लगातार.....5

17-11-15

✓

यद्यपि तमिलनाडू बिक्री कर अधिनियम, 1959 तथा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के ब्याज सम्बन्धी प्रावधान सदृश नहीं हैं, फिर भी माननीय न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :—

".....If the return shows the actual turnover and tax is not paid as per the return, then interest would be payable under Section 24(3) as that would be a case where amount has remained unpaid after the date specified for its payment. However, if the monthly return does not indicate the actual turnover then it was for the Assessing Authority to make a demand on the footing that the return was incomplete or incorrect. In the absence of any such demand interest would not become payable under Section 24(3) as there is no provision for charging of interest prior to the date of demand. In this respect the principles laid down in J.K. Synthetics Ltd.'s case fully apply even though the provisions of the Tamil Nadu General Sales Tax Act and the Rajasthan Act may not be identical. The principle to be kept in mind is, that, when the levy of interest emanates as a statutory consequence and such liability is a direct consequence of non-payment of tax, be it under Section 215 of the Income Tax Act or under Section 7(2) / 7(2A) read with Section 11B(a) of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (as discussed in the decision of this Court in the case of J. K. Synthetics Ltd.'s case (*supra*) or under Sections 13(2) / 24(3) read with Rule 18(3) under the Tamil Nadu General Sales Tax Act, 1959, then such a levy is different from the levy of interest which is dependent on the discretion of the Assessing Officer. The default arising on non-payment of tax on an admitted liability in the case of self-assessment falls under Section 24(3) read with Rule 18(3) which attracts **automatic levy of interest** whereas the default in filing incomplete and incorrect return falls under Rule 18(4) which attracts best judgment assessment in which the levy of interest is based on the adjudication by the Assessing Officer. Therefore, Rule 18(3) and Rule 18(4) operate in different spheres."

इसके अलावा वेट अधिनियम की धारा 55(1) में स्पष्ट प्रावधित है कि :—

55. Interest on failure to pay tax or other sum payable. —

- (1) Where any person or a dealer commits a default in making the payment of any amount of—
 - (a) **tax leviable or payable; or**
 - (b) any amount of tax, fee, penalty or interest assessed or determined; or
 - (c) any other amount payable by him,

within the specified time under the provisions of this Act or the rules made or notifications issued thereunder, he shall be liable to pay interest on such amount at such rate, as may be notified by the State Government from time to time, for the period commencing from the day immediately succeeding the date specified for such payment and ending with the day on which such payment is made.

13-11-15

लगातार.....6

उक्त प्रावधान अनुसार कर उद्ग्रहणीय या संदेय (leviable or payable) विहित समय पर जमा नहीं होने पर ब्याज आरोपणीय है। अतः व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा नियमित कर कम अथवा समय पर देय कर जमा कराने के बावजूद ब्याज आरोपण को अविधिक होने का तर्क मान्य नहीं किया जा सकता। अपीलीय अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि कर विधिक आदेश पारित किया हैं इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क रहा है कि उसे योजना-2003 के तहत सब्सिडी रिलीज ऑर्डर के 30 दिन बाद से भुगतान अवधि का ब्याज देय है।


निवेशक को देय ब्याज के विषय में योजना-2003 के क्लॉज-10 Terms & Conditions के Note में विहित है कि –


Note : Interest @ 5 percent per annum would be payable to investor in case the payment of Capital Investment subsidy is delayed for a period of more than 30 days once the Capital Investment Subsidy release order is issued.

कर निर्धारण आदेश में अनुदान राशि का समायोजन आलौच्य अवधि में केंद्रीय अधिनियम के तहत पारित आदेश में कर पेटे दिया गया है, लेकिन अनुदान स्वीकृति आदेश पूर्व में ही दिनांक 31.12.2008 को जारी हो चुके थे। स्वीकृति आदेश से 30 दिवस के बाद अनुदान का भुगतान होने पर उक्त क्लॉज-10 अनुसार ब्याज देय होता है, जो नहीं दिया गया है। इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नियमानुसार अनुदान राशि के रिलीज आदेश जारी होने व राजकोष में भुगतान तिथि के मध्य विलम्ब की गणना कर ब्याज का भुगतान निवेशक व्यवहारी को किया जावे। इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है।

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा देय राशि देरी से जमा होने के फलस्वरूप आरोपित ब्याज के बिन्दु पर अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है तथा योजना, 2003 के क्लॉज 10 के नोट के अनुसार विलम्ब पर देय ब्याज के बिन्दु पर अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


17-11-2015
(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य


17-11-2015
(मदन लाल)
सदस्य